दिनांक : 4 जनवरी 2012

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से नगर आयुक्त पटना नगर निगम को समर्पित सुझाव

1. राजधानी का Drainage System काफी पुराना हो गया है जिसकी स्थिति से सभी अवगत हैं। पटना के बहुत सारे पुराने/नये इलाके विशेष कर पटना सिटी के क्षेत्र एवं पटना के श्रीकृष्ण नगर, किदवईपुरी, राजेन्द्र नगर तथा कंकड़बाग जैसे पुरानी कॉलोनियों में इस समस्या के निराकरण के उपाय प्राथमिकता के आधार पर किये जाने चाहिए । जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नया Drainage System को अनिवार्य रूप से एक निश्चित समय सीमा के अन्दर स्थापित करने की सख्त आवश्यकता है । Proper Linkage of Drains अथवा Alternate Drain System स्थापित कर इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है । पटना के विभिन्न क्षेत्रों में नालों की सफाई का सघन अभियान निगम द्वारा यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

2. राजधानी पटना कूड़े–कचरे की राजधानी जैसा बन गया है । यद्यपि निगम द्वारा कूड़ा उठाने एवं सफाई का काम किया जाता है परन्तु इसकी व्यवस्था पूर्णतः अपर्याप्त एवं असंतोषजनक है । अतः पटना को साफ एवं स्वच्छ रखने के संबंध में हमारा सुझाव निम्न है :–

   - राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कूड़े फेकने की निश्चित स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए तथा वहाँ पर कचरा डालने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

   - उक्त स्थलों पर कचरा डालने का समय, इसे उठाने का समय आदि से संबंधित बोर्ड लगाकर आमलोगों को सूचित किया जाना चाहिए और यदि निर्धारित समय के बाद कचरा डाला जाता है तो दण्ड के प्रावधान तय कर उसे भी उक्त बोर्ड पर प्रचारित किया जाना चाहिए । साथ ही सफाई से संबंधित पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं उनका मोबाइल नम्बर भी बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए ।

   - संबंधित क्षेत्रों के सम्मानित नागरिकों द्वारा सफाई व्यवस्था की निश्चित समय अवधि पर Certification कराया जाए ।

   - वर्तमान में पटना नगर के मात्र 10 से 20 प्रतिशत क्षेत्रों में ही कूड़ेदानों की व्यवस्था हो पायी है । अतः नगर के हर क्षेत्र में कूड़ेदान की समुचित व्यवस्था अविलम्ब कराया जाना चाहिए ।

3. निगम द्वारा कूड़ा उठाने एवं सफाई का कार्य वर्त्तमान में प्रातः काल से प्रारम्भ किया जाता है परन्तु व्यवहारिक रूप से यह काम दिनभर चलता रहता है जिससे सड़कों पर आवागमन अवरूद्ध होता है फलस्वरूप लोगों को

काफी परेशानियॉ उठानी पड़ती है। साथ ही ट्राफिक के कारण सफाई कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है । अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि सफाई कार्य प्रातः काल से कुछ पूर्व प्रारम्भ हो तथा सड़कों पर अधिक आवागमन की अवधि से पूर्व ही संपन्न हो जाए ।

4. पटना नगर निगम को Garbages and Wastes से बायों फर्टिलाइजर्स तैयार करने के प्रोजेक्ट पर विचार करना चाहिए । ऐसी परियोजना Public Private Partnership के आधार पर स्थापित एवं कार्यशील की जा सकती है।

5. शहर के क्षेत्रों एवं सड़कों से आवारा पशुओं, सुअरों एवं कुत्तों इत्यादि को दूर रखने की नितांत आवश्यकता है। ऐसे जानवर लोगों को अत्यधिक कष्ट पहुॅचाते है, गंदगी बढ़ाते है एवं महामारी के कारक होते हैं ।

6. शहर की अधिकांश सड़कों पर विचरण करनेवाले जानवरों एवं पशुओं पर लगाम कसने या उन्हें पकड़कर कॉजी हाउस में बन्द करने जैसी व्यवस्था होनी चाहिए । जिससे कि इन जानवरों की वजह से आय दिन होनेवाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके ।

अन्य सुझाव

7. शहर के विभिन्न इलाकों के पार्कों में रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की कमी है । कुछ पार्क तो कूड़ा–कचड़ा जमा करने के मैदान अथवा चारागाह बन कर रह गये है। पटना के सभी पार्कों की रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता है; विशेषकर वैसे पार्कों की जो आवासीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। उदाहरणार्थ – पटना का श्रीकृष्णा नगर अवस्थित संजय गॉधी पार्क । इस पार्क के चारो तरफ की सड़क की पूरी तरह से मरम्मती की आवश्यकता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति राजेन्द्र नगर के पाटलिपुत्रा पथ पार्क एवं नगर के विभिन्नों क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों की भी है जहाँ समुचित रख–रखाव की नितान्त आवश्यकता है ।

8. सड़कों के नाम की पट्टी, सभी सड़कों के आरंभ एवं अंतिम छोर पर लगाइ जानी चाहिए ताकि पटना से बाहर के आगन्तुकों को सुविधा हो ।

9. निगम के सभी कार्यालयों एवं अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का कार्य त्वरित रूप से किया जाना चाहिए । जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण कम्प्यूटरीकृत कर On Line Certificates जारी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए इससे व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा ।

10. पटना नगर निगम की शाखा कार्यालय सभी वार्डों में स्थापित होने चाहिए। जिसमें पटना नगर निगम / नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

11. शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर सुव्यवस्थित ऑटो–रिक्शा एवं टैक्सी स्टैण्ड की स्थापना होनी चाहिए। टैक्सी/ऑटो रिक्सा चालकों के लिए नाम की पट्टी के साथ वर्दी अनिवार्य किया जाना चाहिए । पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर निःशुल्क एवं सशुल्क पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

12. सभी गंगा घाटों को विकसित एवं सौदर्यीकृत किया जाना चाहिए। दाह–संस्कार के लिए चिह्नित घाटों पर समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

****